न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या- 107/2026,

स्टेट बनाम ओमप्रकाश सिंह आदि।

मु०अ०सं०- 193/2024,

अन्तर्गत धारा- 308/34,504,506 भा०दं०सं०,

थाना- मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं, **कमलापति-I,** अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़ आप अभियुक्तगण **01- ओमप्रकाश सिंह, 02- राकेश कुमार सिंह, 03- संतोष सिंह, 04- विशाल सिंह** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ-

01. यह कि दिनाँक 18.05.2024 को समय करीब 06.00 बजे शाम, बहद स्थान ग्राम सिंहपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ में आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर पाइप पर गाड़ी चढ़ जाने को लेकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा अभिषेक सिंह के भाई अखिलेश कुमार सिंह को लाठी, डण्डा से मारपीट कर गम्भीर उपहति कारित की। यदि आप लोगों के उक्त कार्य से उसकी मृत्यु हो जाती तो, आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 सपठित धारा 34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

02. यह कि उपरोक्त दिनाँक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा अभिषेक सिंह के भाई अखिलेश कुमार सिंह को भद्दी-भद्दी गालियाँ दी और यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि ऐसे प्रकोपन से वे लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेंगे। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504** के अन्तर्गत दंडनीय अपराध कारित किया,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

03. यह कि उपरोक्त दिनाँक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा अभिषेक सिंह के भाई अखिलेश कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506** के अन्तर्गत दंडनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.03.19 16:15:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतएव एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दि०-19.03.2026 **(कमलापति-I)**

J.O. Code-UP-6168

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

दि०-19.03.2026 **(कमलापति-I)**

J.O. Code-UP-6168

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या- 107/2026,

स्टेट बनाम ओमप्रकाश सिंह आदि।

मु०अ०सं०- 193/2024,

अन्तर्गत धारा- 308/34,504,506 भा०दं०सं०,

थाना- मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **01- ओमप्रकाश सिंह, 02- राकेश कुमार सिंह, 03- संतोष सिंह, 04- विशाल सिंह** मय विद्वान अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों को विस्तार से बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 308/34,504,506 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी। जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर **प्रथमदृष्टया** अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा- 308/34,504,506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाता है।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा आरोप अभियुक्तगण उपरोक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त ने आरोपों से इंकार किया एवं परीक्षण की माँग किया। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 27.04.2026 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों।

दि०-19.03.2026

(कमलापति-I)

J.O. Code-UP-6168

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।